न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्याः– 22/25

मनोजकुमार पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. महेशकुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 12-3-25

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 725 सात सौ पच्चीस तादादी 1.1382 एक दशमलव एक तीन आठ दो हेक्टेयर, खसरा संख्या 748 सात सौ अडतालीस तादादी 1.2646 एक दशमलव दौ छः चार छः हेक्टेयर कुल किता 2 दो कुल रकबा 2.4028 दौ दशमलव चार जीरो दौ आठ हेक्टेयर वाके रोही ग्राम शिवपुरी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी 1/2 एक बट्टा दौ हिस्सा भूमि का खातेदार कृषक है। जिसे आगे वादगत भूमि कहा गया है। वादगत भूमि का मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मुताबिक मौखिक विभाजन के खेत खसरा संख्या 725 सात सौ पच्चीस तादादी 1.1382 एक दशमलव एक तीन आठ दो हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण व खेत खसरा संख्या 748 सात सौ अडतालीस तादादी 1.2646 एक दशमलव दौ छः चार छः हेक्टेयर में सें उतरी साईड की 0.0632 हेक्टेयर भूमि वादी के हिस्सा पांति में आई हुई है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक अपने–अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक का खान–पान, रहन–सहन अलग–अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 20.01.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 एक से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत का विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक–पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक साफ इनकार हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेगा तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगा, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

1 एक अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गया तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम शिवपुरी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादी की बहस सुनी गई। वादी ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

वादी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादी द्वारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी कब्जा काश्त के आधार पर वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहता है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादी का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम शिवपुरी खसरा संख्या 725, 748 तादादी कमशः 1.1382, 1.2646 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.4028 हेक्टेयर भूमि वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है। तहसीलदार बीदासर से वादगत भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 12-3-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रारम्भिक डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.
मनोजकुमार बनाम महेश आदि
दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

मुकदमा न.:– 22/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु.....हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम शिवपुरी खसरा संख्या 725, 748 तादादी कमशः 1.1382, 1.2646 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.4028 हेक्टेयर भूमि वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है। तहसीलदार बीदासर से वादगत भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

चीज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह.....

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक.....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12-3-25

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा बीदासर (चूरू)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर, चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू (राज)

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद सं:– 22/2025

मनोजकुमार पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

. वादी

बनाम

1. महेशकुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

–: निर्णय :–

दिनांक:– 19-3-2025

उपरोक्त वाद पत्र में मुताबिक न्यायालय निर्णय दिनांक 12.03.2025 के तहसीलदार बीदासर द्वारा रोही ग्राम शिवपुरी के खेत खसरा संख्या 725, 748 तादादी कमशः 1.1382, 1.2646 हेक्टेयर भूमि का प्रारम्भिक डिक्री अनुसार विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बीदासर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक वादगत भूमि में खसरा संख्या 725 तादादी 1.1382 हेक्टेयर में सें उतरी साईड की 1.0750 हेक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 748 तादादी 1.2646 हेक्टेयर में सें उतरी पूर्वी कुंट की 0.1264 हेक्टेयर भूमि वादी के कब्जा काश्त में बताई गई व शेष वादगत भूमि प्रतिवादी के कब्जा काश्त में बताई गई। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी को सुना गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी ने कोई आपति नहीं की है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

बहस सुनी गई। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव को वादी ने स्वीकार किया। वादी ने वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वाद को अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

अतः वादी के वाद को इस प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है कि रोही ग्राम शिवपुरी के खेत खसरा संख्या 725 तादादी 1.1382 हेक्टेयर में सें उतरी साईड की 1.0750 हेक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 748 तादादी 1.2646 हेक्टेयर में सें उतरी पूर्वी कुंट की 0.1264 हेक्टेयर भूमि वादी मनोजकुमार पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी बीदासर के नाम से अलग खातेदारी में दर्ज कर लगान का विभाजन किया जावे। विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकार स्वंय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 19-3-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

अन्तिम डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.
मनोजकुमार बनाम महेशकुमार आदि
दावा बाबतः– विभाजन, चिर निषेधाज्ञा बाबत।

मु.नं.–22/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु.....हाजरी वास्ते मुद्दई व पेरोकार राज मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व इस प्रकार अन्तिम डिक्री की जाती है कि रोही ग्राम शिवपुरी के खेत खसरा संख्या 725 तादादी 1.1382 हेक्टेयर में सें उतरी साईड की 1.0750 हेक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 748 तादादी 1.2646 हेक्टेयर में सें उतरी पूर्वी कुंट की 0.1264 हेक्टेयर भूमि वादी मनोजकुमार पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी बीदासर के नाम से अलग खातेदारी में दर्ज कर लगान का विभाजन किया जावे। विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकार स्वंय वहन करें।

चीज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19-3-2025

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा बीदासर (नागौर)

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट– खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (नागौर)